बजट सत्र – 2017 के समापन अवसर पर
माननीय अध्यक्ष महोदय का उद्‌बोधन

शुक्रवार, दिनांक 28 अप्रैल, 2017

छत्तीसगढ़ राज्य की चतुर्थ विधानसभा के ग्यारहवें सत्र का आज अंतिम दिवस है। विधान सभा का वर्तमान बजट सत्र दिनांक 27 फरवरी, 2017 से माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण से आरंभ हुआ । सभा की सहमति से 31 मार्च से 27 अप्रैल तक की अवधि को अवकाश घोषित करते हुए आज दिनांक 28 अप्रैल, 2017 को छत्तीसगढ़ माल और सेवा कर विधेयक, 2017 पर विचार एवं पारण के लिए बैठक निर्धारित की।

इस सत्र में सभी महत्वपूर्ण विषयों पर समग्र रूप से चर्चा हुई, जिसका श्रेय आप समस्त माननीय सदस्यों को है । सत्र के संचालन में सहयोग के लिये सदन के नेता माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय नेता प्रतिपक्ष, माननीय संसदीय कार्य मंत्री एवं सभी माननीय मंत्रिगण, माननीय उपाध्यक्ष, सभापति तालिका के माननीय सदस्य सहित पक्ष एवं प्रतिपक्ष के सभी माननीय सदस्यों के प्रति मैं हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ ।

इस सत्र के प्रथम दिवस पूज्य गुरूदेव श्री श्री रविशंकर जी का विधान सभा आगमन हुआ और उन्होंने हम सभी को अपने प्रेरणादायी उद्‌बोधन से अनुग्रहित किया । मुझे पूर्ण विश्वास है कि पूज्य श्री श्री जी ने जो मार्गदर्शन दिया, उनका अनुकरण कर हम लाभान्वित होंगे ।

इस सत्र में संसदीय कार्यों के साथ–साथ एक–दो अवसर ऐसे भी उत्पन्न हुए जब कुछ माननीय सदस्यों ने इस सभा एवं परिसर का उपयोग राजनीतिक कार्यों के लिए किया । दिनांक 1 मार्च को जहां सभा एवं परिसर में गंगाजल छिड़कने जैसा कृत्य किया, जिसके विरूद्ध माननीय संसदीय कार्य मंत्री की ओर से छत्तीसगढ़ विधान सभा की इतिहास में पहली बार सदस्यों के विरूद्ध निन्दा प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ । इसके साथ ही पूर्ण शराब बंदी की मांग को लेकर दो सदस्य कुछ दिनों तक ऐसे कार्य करते रहे, जो इस परिसर एवं सभा में नहीं किए जाने वाले कार्यों की श्रेणी में आते हैं, जिसके लिए उन्हें आसंदी के द्वारा निर्देश दिए गए एवं पश्चात् उक्त कृत्य के लिए उन्हें निलम्बित भी किया गया । मैं समझता हूं कि इस चतुर्थ विधान सभा के लिए निर्वाचित माननीय सदस्य अब परिपक्व की श्रेणी में आ गए हैं, उनसे यदा–कदा भी ऐसे कृत्यों से अपने आपको विरत रखने की अपेक्षा, मैं माननीय सदस्यों से करता हूं ।

आप सभी माननीय सदस्य सहमत होंगे कि छत्तीसगढ़ विधान सभा ने देश की विधान सभाओं में अपना एक अलग स्थान बनाया है । यह स्थान आप सभी की संसदीय कर्तव्यों एवं परम्पराओं में विश्वास के कारण बना है । किसी उच्च मुकाम को पाकर, उस मुकाम को बनाए रखना भी महत्वपूर्ण है । आप सभी माननीय सदस्यों के अपने संसदीय कर्तव्यों के निर्वहन से छत्तीसगढ़ विधान सभा ने कम समय में देश में वह स्थान बनाया है, जिसे बहुत कम विधान सभाओं को प्राप्त है, इस स्थान को बनाए रखना, हम सबकी जिम्मेदारी है ।

छत्तीसगढ़ विधान सभा के पक्ष एवं प्रतिपक्ष के सदस्य, राज्य के विकास एवं लोक हित के लिए अपने सामंजस्यपूर्ण कार्य के लिए प्रतिबद्ध रहते हैं । इस सत्र में भी इसकी एक झलक दिनांक 28 मार्च को देखने को मिली, जब शासन की ओर से प्रस्तुत तीन संशोधन विधेयक – छत्तीसगढ़ कामधेनु विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, छत्तीसगढ़ पंचायत राज (संशोधन) विधेयक एवं छत्तीसगढ़ राजिम कुंभ मेला (संशोधन) विधेयक, सर्वसम्मति से पारित किए और आज छत्तीसगढ़ माल और सेवा कर विधेयक, 2017 पारित कर भविष्य में कर प्रणाली को देश एवं राज्य के लिए सुदृढ़ बनाने में अपने महत्वपूर्ण दायित्व को पूर्ण किया ।

इस सत्र में दिनांक 27 मार्च 2017 को माननीय राज्यपाल जी के कर कमलो से ''उत्कृष्टता अलंकरण समारोह'' माननीय राज्यपाल जी के मुख्य आतिथ्य में गरिमामय रूप से संपन्न हुआ, इस समारोह में वर्ष 2014, 2015 एवं 2016 के लिये चयनित उत्कृष्ट विधायक, उत्कृष्ट संसदीय पत्रकार, एवं उत्कृष्ट इलेक्ट्रानिक मीडिया रिपोर्टर अलंकृत किये गये, मैं पुनः सभी पुरस्कृतजनों को अपनी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं।

अब मैं इस बजट सत्र में सदन की कार्यवाही के सांख्यिकी आंकड़ों से आपको अवगत कराना चाहूंगा :–

इस सत्र में कुल 22 बैठकों में माननीय राज्यपाल के कृतज्ञता ज्ञापन प्रस्ताव पर 3 घंटे 35 मिनट चर्चा सहित कुल लगभग 145 घण्टे चर्चा हुई । इस सत्र में प्रश्नों की 3145 सूचनाएं प्राप्त हुई जिनमें ग्राह्य तारांकित प्रश्न 1037 एवं अतारांकित प्रश्नों की संख्या 988 रही। इस सत्र में नियम 139 के अंतर्गत चर्चा हेतु कुल 5 सूचनायें प्राप्त हुई। इस सत्र में अशासकीय संकल्प की 30 सूचनायें प्राप्त हुयी, जिनमें से 4 विषयों पर संकल्प ग्राह्य हुये एवं सभा में चर्चा उपरांत 2 संकल्प सर्वसम्मति से स्वीकृत हुए तथा एक संकल्प अस्वीकृत हुआ तथा एक संकल्प व्यपगत हुआ ।

इस सत्र में कुल 344 स्थगन प्रस्ताव की सूचनायें प्राप्त हुई जिनमें से 3 विषय से संबंधित 107 स्थगन प्रस्ताव की सूचनाओं को सभा में पढ़ी जाकर शासन के वक्तव्य के पश्चात् अग्राह्य किया गया । एक विषय से संबंधित 25 सूचनाओं को ग्राह्य कर चर्चा की गई । कक्ष में अग्राह्य स्थगन प्रस्तावों की संख्या 196 रही। इस सत्र में शून्यकाल की 138 सूचनायें प्राप्त हुई जिनमें से 56 सूचनायें ग्राह्य व 82 सूचनाएं अग्राह्य रही।

इस सत्र में ध्यानाकर्षण की 594 सूचनायें प्राप्त हुई जिनमें 138 सूचनायें ग्राह्य व 423 सूचनाएं अग्राह्य रही तथा 33 सूचनाएं नियम 267 –क में परिवर्तित की गई । । इस सत्र में कुल 8 विधेयक लाये गये एवं सभी विधेयक पारित हुए। इस सत्र में विभिन्न विभागों से प्राप्त कुल 32 प्रतिवेदन पटल पर रखे गए । वहीं 5 याचिकाएं भी सदन के पटल पर रखी गई ।

वित्तीय कार्यों के अंतर्गत वर्ष 2016–17 के तृतीय अनुपूरक अनुमान पर 3 घण्टे, वर्ष 2017–18 के आय–व्ययक पर सामान्य चर्चा में 10 घण्टे 56 मिनट का समय लगा जबकि अनुदान की मॉगों पर 64 घण्टे 43 मिनट चर्चा हुई तथा विनियोग विधेयक पर 6 घण्टे 35 मिनट चर्चा हुई ।

इस सत्रकाल में माननीय सदस्यों ने पुस्तकालय, संदर्भ एवं अनुसंधान सेवा का उपयोग किया । सभा के कार्य के संबंध में पुस्तकालय से 168 साहित्य तथा संदर्भ शाखा से विभिन्न विषयों पर 121 संदर्भ उपलब्ध कराये गये । 25315 विजिटर्स ने विधान सभा की वेबसाइट का अवलोकन किया ।

शैक्षणिक संस्थाओं के छात्र–छात्राओं एवं प्रतिनिधियों को मिलाकर कुल 4621 लोगों ने सदन की कार्यवाही का अवलोकन किया ।

आरंभ से लेकर आज दिनांक 28 अप्रैल, 2017 तक हमर छत्तीसगढ़ योजना के तहत् प्रदेश के त्रिस्तरीय पंचायत/सहकारिता के लगभग 60325 जनप्रतिनिधियों ने विधान सभा का भ्रमण किया ।

बजट सत्र, 2017 में 3691 पंचायत/सहकारिता जनप्रतिनिधियों द्वारा विधान सभा का भ्रमण किया गया तथा 17700 नागरिकों ने भी विधान सभा की कार्यवाही का अवलोकन किया ।

मैं पत्रकार दीर्घा के सभी पत्रकार बंधुओं को अपनी ओर से धन्यवाद देता हूं कि आपने प्रभावी रूप से सत्रकाल में सदन से संबंधित समाचारों से आम जनता को अवगत कराया।

इस अवसर पर छत्तीसगढ़ विधानसभा सचिवालय के प्रमुख सचिव सहित ऐसे समस्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों का जिनका प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष सहयोग रहा तथा राज्य शासन के मुख्य सचिव सहित समस्त अधिकारियों/कर्मचारियों को निर्विघ्न सत्र संपन्न कराने में सहयोग देने के लिये मैं धन्यवाद देता हूं कि आपने अपने उत्तरदायित्वों का गंभीरता से निर्वहन किया। जिला प्रशासन सहित सुरक्षा व्यवस्था में संलग्न अधिकारियों/ कर्मचारियों को बधाई देता हूं कि आपने सुदृढ़ सुरक्षा व्यवस्था को पूरे सत्रकाल में कायम रखा। उनके समन्वित सहयोग से ही इस सत्र का सुचारू संचालन संभव हो सका।

परंपरा रही है कि सत्र समाप्ति के अवसर पर आगामी सत्र की संभावित तिथि सदन को सूचित की जाती है, तद्नुसार आगामी मानसून सत्र अगस्त माह के प्रथम सप्ताह में आहूत होने की संभावना है।

— — —